न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

रामआज्ञा राय

वनाम

जुगे सदा वगै0

वाद संख्या–47 / 2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

11.02.14 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा इटहर

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा (बी०-कट्ठा-धूर-क०)	चौहद्दी
ईटहर	294 पु०/ 86 नया	131 पु०/ 567 नया	0-5-7-8	उ०-लक्ष्मण सदा द०-राम चन्द्र राय पु०-बांध प०-जुगो सदा
		151 पु०/642 नया	0-4-15-0	उ०-राम सागर राय द०-कमलेश्वर राय पु०-जुगे राय प०-जुगे साह
		333पु/706 नया	0-2-10-0	उ०-लक्ष्मी साहु द०-नन्द किशोर साहु पु०-विनी कुमार झा प०-नन्द किशोर पोद्दार
		356 पु०/497 नया	0-1-5-0	उ०-बांध द०-भोला राय

C.C. 988 ... V.C. NO. 61 dt 24.2.14 ... 7.3.14

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि सिडुल 1 की भूमि छोटकैन सदा पे0 गॉगो सदा इटहर की दोखतरी धरोहर थी जिन्होने उस भूमि को बजरिये निबंधित केवाला संख्या–1513 दिनांक 02.02.78 ठकरू सदा पे0 किसन सदा इटहर को उचित जरसिमन लेकर फरोखत किये एवं दखल कब्जा दे दिये तदनुसार ठकरू सदा के नाम उस भूमि का दाखिल खारिज वो लगान रसीद निर्गत किया गया फिर स्थलीय दखल कब्जा के अनुसार हाल सर्वे खतियान छोटकैन सदा के नाम से बना है इस प्रकार सिडूल 1 की भूमि निर्विवादी रैयती भूमि है एवं रैयत की घृति में है। कालक्रम में ठकरू सदा की पत्नी मसो0 सावित्री देवी ने सिडुल नं0 1 की भूमि को बजरिये निबंधित केवाला सं0 10556 दिनांक 08.11.2012 वादी रामआज्ञा राय को उचित जरसीमन लेकर परोखत कर दी एवं दखल कब्जा दे दी एवं तब से वह भूमि वादी की अधिपत्य में है एंव इसी मध्य उस भूमि का दाखिल खारिज वो लगान रसीद उनके नाम निर्गत किया गया है। इस प्रकार सिडुल 1 की भूमि पर वादी का स्वामित्व अधिकार वो अभिधृति स्थापित है। सिडुल नं0 1 की भूमि से प्रतिवादी को कोई सरोकार नही है वह मात्र वादी के उस भूमि का देख रेख करने वाले थे परंतु हाल दिनो में उनकी नीयत वेईमान हो गई एवं स्थानीय खुराफाती तत्वो के बहकावे में आकर वह वादी के उस भूमि पर अड्डा खड़ा कर आक्रमक कार्य करने लगे।

वहीं दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि जहॉ तक वाद की भूमि का सवाल है वह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के पिता फुचर सदा व चाचा ठकरू सदा को उसके मामा छोटकन सदा पे0 गांगो सदा सा0 ईटहर थाना कु0 स्थान जिला दरभंगा के दोखतर के रूप में बजरिये केवाला से प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी के पिता चार भाई में सबसे छोटे थे जिन्हे उकने मामा छोटकन सदा जो निःपुत्र थे पोसपुत्र के रूप में अपने पास रख लिए ठकरू सदा और फुचर सदा के बीच व्यवस्था हुई कि गॉव की पैतृक जमीन जायदाद फुचर सदा के हिस्से पर ठकरू सदा और मामा छोटकन की सम्पत्ति जो दोनो को केवाला से प्राप्त है मामा के मृत्यु उपरान्त स्वतः उनका सम्पत्ति का वैध वारिसान आवेदक प्रतिवादी के पिता फुचर सदा हुए जो आज तक पुर्ण स्वत्व प्राप्त दखल काबिज है। प्रतिवादी के पिता चूकि जाति के मुसहर है और

गरीब है वादी के जहॉ मजदुरी और वेगारी करते हुए अपना जीवन गुजार दिये और प्रतिवादी भी हाल तक पिता के अनुरूप उक्त मालिक के सानिध्या में मजदुरी और वेगारी करते रहे इधर वादी को प्रतिवादी को उक्त सम्पत्ति हड़प जाने की नियत हो गई और उसने प्रतिवादी को भी कई प्रलोभन दिये कि तुम मुझ में ही रहकर गुजर बसर करते हो ही तुम अपना जमीन हमको लिख दो हम तुम्हे घर मकान बनवा देगें। लेकिन प्रतिवादी बिल्कुल ही इन्कार कर दिये और उनकी नियत खोट देखकर उनसे लगाव भी कम कर लिए। वादी एक जाल रच कर प्रतिवादी के वंशज की मूल गॉव सेमर अंचल महिषी जिला सहरसा में रह रहे प्रतिवादी के चाचा ठकरू सदा की पत्नी सदा से प्रतिवादी की जमीन लिखाकर आवेदक की भूमि हड़पने की एक जाल तैयार कर लिए जबकि उक्त भूमि गॉव की पैतृक परिसम्पत्ति में आवेदक के पिता ने कोई हिस्सा न लेते हुए अपने वो भाई ठकरू सदा के नाम से प्राप्त मामा की परिसम्पत्ति पर ही संतोष कर लिए थे। अतः परिसम्पत्ति पर प्रतिवादी के चाचा वगै0 की कोई हक व अधिकार नही रह गया था इसलिए वादी द्वारा उनसे लिखाया जाना मात्र वाद में की जाल साज और फरेबी किया। वास्तव में छोटकन सदा की सम्पत्ति का एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी के पिता फुचर सदा थे जो अपने मूल गॉव के पैतृक सम्पत्ति तक में भी अपना वाजिव हक और हिस्सा कभी लेने नही गये और न ही प्रतिवादी पिता या मामा के जीवनकाल में प्रतिवादी के चाचा ठकरू सदा मामा छोटकन सदा के परिसम्पत्ति में कोई हिस्सा की बात किये एकाएक वादी का सहरसा जाकर प्रतिवादी के विधवा चाची म0 सावित्री देवी लालच में बहला कर ईटहर की जमीन चोरी छुपे लिखाना और बहुत दिनो तक इस बात की गुप्त रखकर विभिन्न प्रकार का और भी ग्राउण्ड बनाते हुए अब प्रस्तुत वाद के द्वारा अपने उपरोक्त जाल साजी किया को वैधानिकता का जामा देना चाहता है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है एवं साक्ष्य के रूप में वाद पत्र में वर्णित केवालाओं की प्रति संलग्न की गई है। दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी के विक्रेता एवं प्रतिवादी के बीच आपसी मौखिक समझौता के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा पेश करते है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्गनत भूमि पर अपने दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है परंतु शुरू से ही उक्त भूमि पर दखल होने की बात कही गई

है। दोनो पक्षो के दावे प्रतिदावे के आलोक में अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पुर्वी से दखल संबंधी प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचलाधिकारी कशेश्वर स्थान पुर्वी द्वारा अपने पत्रांक 38 दिनांक 21.01.14 के माध्यम से हल्का कर्मचारी के द्वारा किये गये दखल संबंधी जॉच प्रतिवेदन भेजा गया। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्गनत भूमि पर वादी का कोई दखल नही है वल्कि प्रतिवादीगणो का दखल कई वर्षो से है। साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी के पास प्रश्नगत भूमि के संबंध में कागजी साक्ष्य है परंतु बहुत दिनो से प्रतिवादी के दखल कब्जे में है। इस प्रकार वाद में जटिल स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनिमय 2009 की धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होगें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

11.02.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

11.02.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल